**(वाद सं0.-498/2017)**

25.06.2021

प्रसंगाधीन मामला पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी जिला के 11(ग्यारह) कुष्ठ आश्रमों मे पाईप लाईन योजना के तहत स्वच्छ जल उपलब्ध कराने से संबंधित है।

प्रसंगाधीन मामले से संबंधित परिवाद, श्री नूर मोहम्मद मियॉ, प्रधान गाँधी कुष्ठ आश्रम, छतौनी कॉलोनी, मोतिहारी द्वारा दिनांक–25.11.2016 को राज्य आयोग के समक्ष दिया गया था। राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारो को उपरोक्त 11 कुष्ठ आश्रमों में तत्काल पाईप लाईन योजना के तहत स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया लेकिन संबंधित प्राधिकारों द्वारा अब तक इस संबंध में कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है।

राज्य आयोग द्वारा इस संबंध में दिनांक–13.01.2020 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है।

**" परिवादी, नूर मोहम्मद, गाँधी कुष्ठ आश्रम, छतौनी कॉलनी, मोतिहारी, जिला–पूर्वी चम्पारण से प्राप्त परिवाद–पत्र से संबंधित संचिका के अवलोकन से प्रतीत होता है कि परिवाद–पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, मोतिहारी द्वारा प्राक्कलन की विवरणी सहित अभियन्ता प्रमुख–सह–विशेष सचिव के प्रावैधिक सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को निधि आवंटन हेतु भेजे गये प्रस्ताव के संदर्भ में अभियन्ता प्रमुख–सह–विशेष सचिव के प्रावैधिक सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के प्रतिवेदन में उक्त मद में किसी भी निधि का प्रावधान नहीं होने का जिक्र किया गया है साथ–ही–साथ सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना के प्रतिवेदन में संदर्भगत कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने का भी जिक्र किया गया है।**

**प्रसंगाधीन मामला पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) जिला के सभी दस कुष्ठ आश्रमों में पाइप लाईन योजना के तहत स्वच्छ जल उपलब्ध कराने से संबंधित है।**

जब सरकार की घर–घर पेय जल उपलब्ध कराने की योजना को मिशन के रूप में किया जा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में

कुष्ठ आश्रमों को पेय जल की सुविधा उपलब्ध कराने में संबंधित प्राधिकारों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है तथा एक विभाग दूसरे विभाग पर अपना–अपना बोझ डाल रहा है, जो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।

सामान्य व्यक्तियों की ही तरह कुष्ठ रोगियों को भी शुद्ध व नियमित पेय जल की सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति के साथ परिवादी के परिवाद–पत्र (पृ0–12–1/प0), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के प्रतिवेदन (पृ0–33–30/प0) व सामाजिक सुरक्षा निदेशालय (समाज कल्याण विभाग), बिहार, पटना के प्रतिवेदन (पृ0–37–34/प0) की प्रति संलग्न कर मुख्य सचिव, बिहार को भेजते हुए उनसे दिनांक–24.04.2020 के पूर्व उपरोक्त के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की जाय। ”

दिनांक–13.01.2020 के आदेश के अनुपालन में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना की ओर से राज्य आयोग को निम्नलिखित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है।

" विदित हो कि उक्त 11(ग्यारह) कुष्ठ आश्रमों में से 05 (पांच)अदद कुष्ठ आश्रम, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा 05(पॉच) अदद कुष्ठ आश्रम, पंचायती राज विभाग के क्षेत्राधिकार में है। विभागीय पत्रांक–242, दिनांक–05.03.20201 एवं पत्रांक–240, दिनांक–05.03.2021 द्वारा कमशः इसकी सूचना नगर विकास विभाग एवं पचांयती राज विभाग का दे दी गयी है (छायाप्रति संलग्न)।

शेष 01(एक) अदद कुष्ठ आश्रम छोटा पुल, धोड़ासहन, ढाका में इस विभाग द्वारा पेयजल आपूर्ति हेतु कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, ढाका के पत्रांक–158, दिनांक–31.03.2021 से प्राप्त प्रतिवेदन की छायाप्रति आवश्यक कार्यार्थ संलग्न है।"

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना की ओर से उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के अवलोकन से **यह प्रतीत होता है कि अभी तक राज्य सरकार द्वारा हर घर नल का जल योजना के तहत पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी जिलान्तर्गत कुष्ठ आश्रमां मे से अधिकाश में स्वच्छ जल की आपूर्ति नहीं कराई जा सकी है।**

**लोक स्वास्थ्य** अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के प्रतिवेदन (पृष्ठ–48–45 / प0) व राज्य आयोग के दिनांक–13.01.2020 व आज पारित आदेश की प्रति संलग्न कर **मुख्य सचिव, बिहार, पटना को तत्काल पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के 11 कुष्ठ आश्रमों में कुष्ठ रोगियों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से कार्रवाई करने हेतु अनुरोध पत्र भेजते हुए दिनांक– 24.09.2021 के पूर्व कृत कार्रवाई से अवगत कराने का अनुरोध करे।**

भेजे जाने वाले उक्त पत्र की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु **(1) अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना (2) प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना एवं (3) प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना** को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

**(उज्ज्वल कुमार दुबे)**
**सदस्य**

<u>निबंधक</u>